

मैनुअल संख्या: 1 [धारा 4(1)(ख)(i)]

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

(1) संगठन का नाम और पता:—

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग,
'विद्युत नियामक भवन'
निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0—माजरा, देहरादून—248171
दूरभाष: 0135—2641115, ई—मेल: secy.uerc@gov.in वेबसाइट: www.uerc.uk.gov.in,

(2) संगठन का प्रमुख:—

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना के द्वारा आयोग का गठन तीन सदस्यीय के रूप में किया गया है। वर्तमान में कार्यरत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत् है :—

- | | | |
|----|-------------------------|----------------|
| 1. | श्री मदन लाल प्रसाद | अध्यक्ष |
| 2. | श्री अनुराग शर्मा | सदस्य (विधि) |
| 3. | श्री प्रभात किशोर डिमरी | सदस्य (तकनीकी) |

(3) विजन, मिशन एवं मुख्य उद्देश्य:—

उत्तराखण्ड में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों का निर्धारण एवं विद्युत उत्पादकों व आपूर्तिकर्ताओं के मध्य क्रय अनुबंधों का अनुमोदन तथा ऊर्जा सेक्टर में कार्यरत उत्पादक एवं वितरण संस्थाओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा आदि हेतु उत्तराखण्ड सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 03/नौ-3-ऊ/2002 दिनांक 01 जनवरी 2002 द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत सुधार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का कार्य संचालन दिनांक 5 सितम्बर, 2002 को शासन की विज्ञप्ति संख्या 03/नौ-3-ऊर्जा/2002 दिनांक 01.01.2002 के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया।

(4) आयोग के कार्य एवं कर्तव्य :-

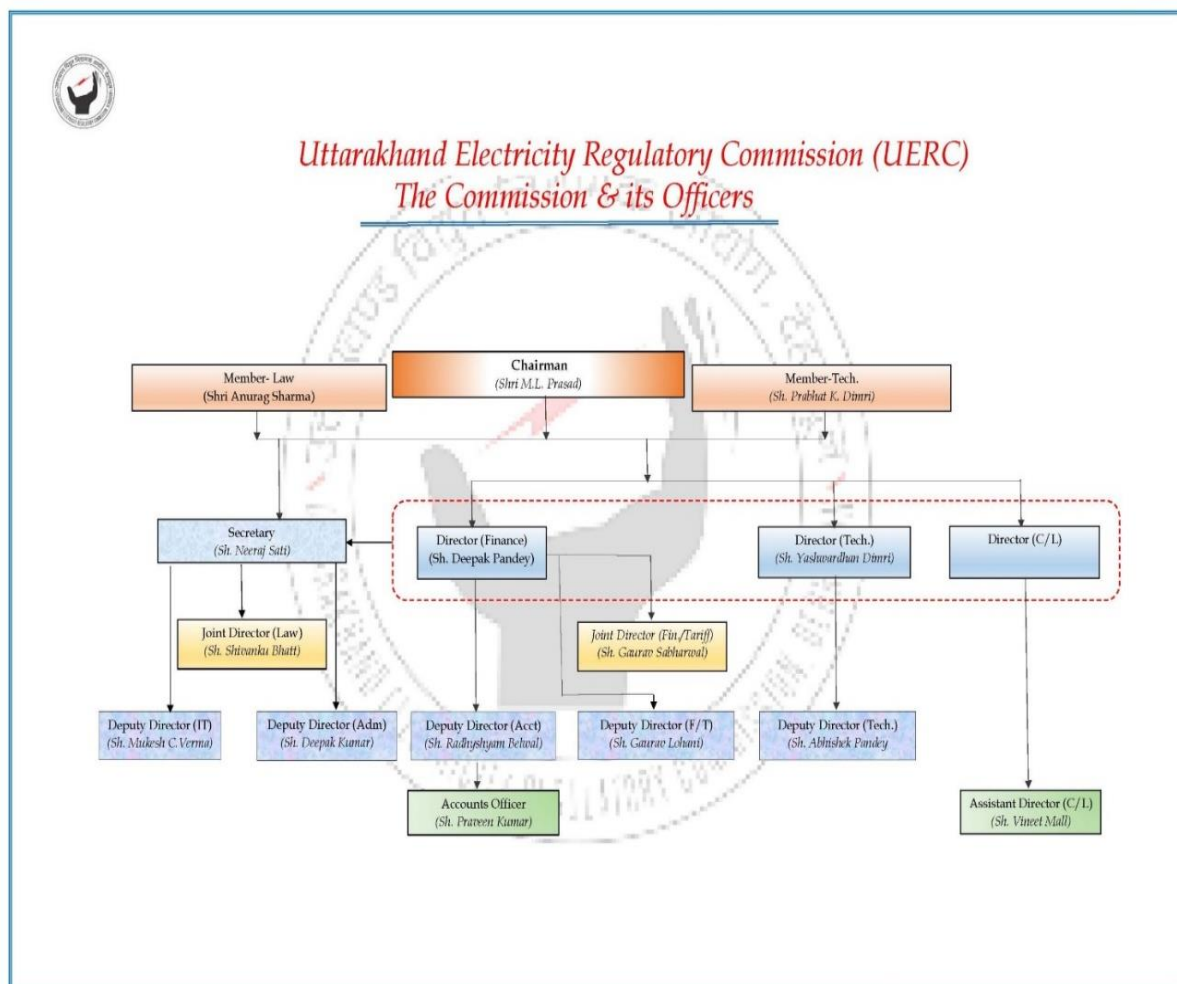
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के अनुसार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के निम्नलिखित कार्य एवं कर्तव्य हैं:-

- (क) राज्य के भीतर के विद्युत के थोक, अधिक मात्रा में या फुटकर, यथास्थिति उत्पादन, आपूर्ति पारेषण और चक्रण के लिए शुल्क दर अवधारित करना। किन्तु जहाँ धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं के सन्दर्भ को खुली पहुँच की अनुमति दी गयी है, वहाँ राज्य आयोग उपभोक्ताओं के उक्त संवर्ग के लिए उस पर केवल चक्रण प्रभार और अधिभार यदि कोई हो, को अवधारित करेगा।
- (ख) विद्युत क्रय और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्राप्त प्रक्रिया को विनियमित करना जिसमें वह कीमत शामिल होगी, जिस पर विद्युत को उत्पादन करने वाली कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी से राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए विद्युत के क्रय के लिए करार के माध्यम से अन्य स्रोत को प्राप्त करेगा।
- (ग) विद्युत के अन्तःराज्यिक पारेषण और चक्रण को सुगम बनाना।
- (घ) पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और विद्युत व्यापारियों के रूप में राज्य के भीतर उनके प्रवर्तन के सम्बन्ध में कार्य करने की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति जारी करना।
- (ङ) किसी व्यक्ति को ग्रिड और विद्युत के विक्रय से संयोजित करने के लिए उपयुक्त उपाय का प्रावधान करने के लिए विद्युत के नवीनकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह उत्पादन और उत्पादन को समुन्नत करना और ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत के पूर्ण उपयोग के प्रतिशत के लिए भी विनिर्दिष्ट करना।

- (च) अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन करने वाली कम्पनियों के बीच विवादों का न्याय निर्णयन करना और माध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना।
- (छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस का उदग्रहण करना।
- (ज) राज्य ग्रिड संकेत को विनिर्दिष्ट करना, जो धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड संकेत से संगत हो।
- (झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता निरन्तर और विश्वसनीयता के सम्बन्ध में मानक को विनिर्दिष्ट करना या प्रवर्तित करना।
- (ट) विद्युत के अन्तर्राज्यिक व्यापार में व्यापार लाभ को नियत करना, यदि आवश्यक समझा जाय और
- (ठ) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम के अधीन उसको समनुदेशित किया जाय।
2. राज्य आयोग निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी पर राज्य सरकार को सलाह देगा:—
- (i) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतियोगिता, दक्षता और अर्थ व्यवस्था की वृद्धि।
 - (ii) विद्युत उद्योग विनियोग की वृद्धि।
 - (iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुर्नगठन और पुनः संरचना।
 - (iv) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से सम्बन्धित मामलों या उस सरकार द्वारा राज्य आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य मामला।
3. राज्य आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा।
4. राज्य आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और शुल्क दर नीति द्वारा मार्ग-निर्देशित किया जायेगा।

(5) संगठन चार्ट :-

आयोग का वर्तमान संगठनात्मक चार्ट



(6) कोई अन्य विवरण – विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन और समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों का विवरण :-

वांछित विवरण उपरोक्त बिन्दुओं में आच्छादित है।